

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राज्य सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 10(4)गुप-2/एफ.डी./76 दिनांक: 13.10.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक: 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.12 के अन्तर्गत निम्नांकित कार्मिकों को इनके आवेदन की दिनांक से उनके मूल वेतन का (6) छः प्रतिशत जो अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	आवेदन तिथि
1.	सुश्री निधी गुप्ता, बा. बारहगुवाड़ (बीकानेर)	गणित	22.08.2019
2.	मनोज कुमार मित्रा, वाटिका (सांगानेर) जयपुर	भौतिक विज्ञान	19.08.2019

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/विकलांग भत्ता/2019

दिनांक: 09.09.19

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
2. सम्बन्धित मुख्य जिला अधिकारी (स्कूल शिक्षा)
3. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय)
4. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राबाउमावि, बारहगुवाड़ (बीकानेर)/राउमावि वाटिका (सांगानेर)-जयपुर को सम्बन्धित कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है ।
6. सम्बन्धित कार्मिक ।
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर